फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2,
किशनगढ अजमेर (राज0)

सरकार बनाम रामस्वरूप

सेशन प्रकरण संख्या 21/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2024	विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिम की उपस्थिति बाबत हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश की गई, जो आज के लिए स्वीकार की गई। प्रार्थी/अभियुक्त शुभम चौधरी द्वारा दिनांक 13.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र पासपोर्ट बनवाये जाने हेतु अनुमति दिये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। जिन्होंने इस प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना जाहिर किया गया, जिससे बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश नहीं छोड़ेगा, उसे पासपोर्ट की आवश्यकता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे पासपोर्ट बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जावे। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त ने नया पासपोर्ट बनवाये जाने हेतु उसकी आवश्यकता के संबंध में कोई विशिष्ट कारण अंकित नहीं किए है। प्रार्थी/अभियुक्त पर हत्या के अपराध जैसे गंभीर आरोप है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थी/अभियुक्त को नवीन पासपोर्ट बनवाये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं है। गवाह संख्या 1 व 2 को जरिये जमानती वारंट दो हजार रूपये से तलब कर पत्रावली वासते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 26.07.2024 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	